रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 1971/अग्रहायण 19, 1893
No 212] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1971/AGRAHAYANA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 10th December 1971

No. 14(5)-Tar/71.—On the basis of the Tariff Commission's recommendations made in its (1968) Report, Government discontinued tariff protection to the Dyestuff industry beyond 31st December, 1968. Since, however, quantitative control over imports was likely to be continued in the foreseeable future, the industry was deemed to be protected under Section 11(a) of the Tariff Commission Act, 1951, subject to a periodical review to ensure that it did not take undue advantage of the protection so provided.

2. The Tariff Commission, however, recommended, and Government accepted, that the then existing protection to three intermediates should be continued (at modified rates) and the scope of protection should be extended to cover 50 other intermediates. The period of protection was to continue up to the 31st December, 1971, subject to h yearly reviews of the quality, prices and availability of the indigenously manufactured intermediates, with special reference to the requirement of the small scale sector of the industry.

3. The Commission reviewed the industry in 1969. Since the overall enquiry into the Dyestuff industry was due in 1971, it did not consider it necessary to review the whole question of protection at that stage, and confined its enquiry to an examination of the availability, prices and quality of the 53 intermediates in general and 18 intermediates considered vital for the small scale sector, in particular. The Commission recommended in this Review Report that the policy of protection as then in operation had by and large justified itself, as it had helped the industry not only to develop but also achieve a degree of competitive strength and should, subject to minor operational modifications, be allowed to continue upto the 31st December, 1971, as recommended earlier. The Government accepted this recommendation and announced their decision in their Resolution No. 14(5)-Tar|69, dated the 25th February, 1971.

4. The Tariff Commission has since submitted a further Report on the continuance of protection to the dye-intermediates industry, on the basis of an enquiry undertaken by it under Section 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, 1951. It has not been able to complete its examination and proposes to submit a detailed report later. In the meanwhile, it has made the following interim recommendations:—

(1) The 53 intermediates which are enjoying protection [covered under Item Nos. 28(35), 28(36), 28(37), 28(38), 28(39) and 28(40) of the I.C.T. Schedule] should continue to do so at the same rates of duty as at present for at least three years more till the 31st December, 1974.

(2) Pending further examination and modification, if any, which would be indicated in the Final Report, the 18 intermediates which are already enjoying concessional rates of duty at 27½ per cent *ad valorem* (Standard) and 17½ per cent *ad valorem* (Preferential) should continue to enjoy duty concession as obtaining at present for a further period of 3 years upto the 31st December, 1974.

(3) It needs to be emphasised that the intermediates industry has to discipline itself in regard to progressive economies in costs ultimately leading to price reduction not only in its own interest but also in the larger interest of the consumers as a whole.

5. In so far as recommendations (1) and (2) are concerned, Government have decided, pending receipt of the Commission's final report, to accept the Commission's recommendations to the extent that protection be continued to the 53 intermediates until the 31st December, 1972, at the existing rates of protective duty. Similarly, the duty concession available to the 18 intermediates covered in recommendation (2) will be continued until the 31st December, 1972.

Necessary legislation will be undertaken in Parliament in due course to continue the protection to the 53 dye-intermediates covered in recommendation (1) for a period of one year upto the 31st December, 1972. The Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) will take necessary action to continue the duty concession to the 18 intermediates covered in recommendation (2) for a period of one year upto the 31st December, 1972.

6. The attention of the Dye-intermediates industry is drawn to recommendation (3) for taking suitable measures to bring down the costs.

7. The Commission will be required to submit its final report to Government as early as possible so that the question of further continuance or discontinuance of the protection/duty concession granted to the dye-intermediates may be considered by the Government in time for necessary legislation to be undertaken in 1972.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

S. VENKATESAN, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

संकल्प

टैरिफ

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

सं० 14(5)/टैरिफ/71.—टैरिफ आयोग द्वारा उसके (1968 के) प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 31 दिसम्बर, 1968 के बाद रंजक सामग्री उद्योग को टैरिफ संरक्षण समाप्त कर दिया। फिर भी, चूंकि पूर्व दृष्टव्य भविष्य में निश्चित अवधि तक आयातों पर परिमाण सम्बन्धी नियंत्रण सम्भवतः जारी रखा जाना था, अतः इस उद्योग को टैरिफ आयोग अधिनियम की धारा 11 (क) के अधीन संरक्षित मान लिया गया और उसकी आवधिक समीक्षा की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह इस प्रकार दिये गये संरक्षण, का अनुचित लाभ न उठाये।

2. परन्तु टैरिफ आयोग ने यह सिफारिश की, और सरकार ने उसे मंजूर कर लिया, कि उस समय तीन मध्यवर्ती पदार्थों को दिया जा रहा संरक्षण (संशोधित दरों पर) जारी रखा जाना चाहिए और संरक्षण के क्षेत्र का विस्तार करके 50 अन्य मध्यवर्ती पदार्थों को उसमें समाविष्ट किया जाना चाहिए। संरक्षण की अवधि 31 दिसम्बर, 1971 तक जारी रहनी है पर इस उद्योग के लघु क्षेत्र की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में, स्वदेश में निर्मित मध्यवर्ती पदार्थों की क्वालिटी, कीमतों और प्राप्यता की छमाही समीक्षा की जायेगी।

3. आयोग ने 1969 में उद्योग की समीक्षा की। चूंकि रंजक सामग्री उद्योग की सर्वांगीण जांच 1971 में की जानी थी, अतः आयोग ने इस अवस्था में संरक्षण के समग्र प्रश्न की समीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा और अपनी जांच को सामान्यतः 53 मध्यवर्ती पदार्थों और विशेषतः लघु क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले 18 मध्यवर्ती पदार्थों की प्राप्यता, कीमतों और क्वालिटी के अध्ययन तक सीमित रखा। इस समीक्षा प्रतिवेदन में आयोग ने सिफारिश की कि उस समय चल रही संरक्षण की नीति काफी हद तक युक्तियुक्त सिद्ध हुई थी और यह न केवल उद्योग के विकास में अपितु उसे काफी प्रतिस्पर्द्धा-शक्ति प्राप्त कराने में भी सहायक रही थी और जैसी कि पहले सिफारिश की गई थी इसमें अल्प व्यवहारिक उपांतरण करके इसे 31 दिसम्बर, 1971 तक जारी रखा जाये। सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया और अपने संकल्प सं० 14(5)—टैरिफ/69 दिनांक 25 फरवरी, 1971 में अपने विनिश्चय का एलान कर दिया।

4. तब से, टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 11 (ङ) तथा 13 के अन्तर्गत इसके द्वारा की गई जांच के आधार पर रंजक मध्यवर्ती उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में एक और प्रतिवेदन दे दिया है। यह अपनी जांच पूरी नहीं कर सका है और विस्तृत प्रतिवेदन बाद में देने का उसका विचार है। इस बीच इसने निम्नलिखित अंतरिम सिफारिश की है :—

(1) भारतीय सीमा शुल्क अनुसूची की मद [सं० 28(35), 28(36), 28(37), 28(38) 28(39) तथा 28(40) के अन्तर्गत आने वाले] जिन 53 मध्यवर्ती पदार्थों को संरक्षण प्राप्त है, उन्हें 31 दिसम्बर, 1974 तक कम से कम तीन वर्ष के लिए शुल्क की उन्हीं दरों पर, जो कि इस समय है, संरक्षण मिलता रहना चाहिए।

(2) अतिरिक्त जांच तथा संशोधन, अगर कोई है, जो कि अंतिम प्रतिवेदन में दिखाया जायेगा, के होने तक के लिए, 18 मध्यवर्ती पदार्थों को जिन्हें पहले से ही 27.1/2 प्रतिशत यथा मूल्य (मानक) तथा 17.1/2 तिशत यथा मूल्य (अधिमान) शुल्क की रिआयतीं दरें प्राप्त हैं, 31 दिसम्बर, 1974 तक तीन वर्ष की आगामी अवधि के लिए शुल्क सम्बन्धी रिआयत वैसे ही मिलती रहनी चाहिए जैसे कि इस समय उन्हें मिल रही है ।

(3) इस पर बल दिये जाने की आवश्यकता है कि मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग को, केवल अपने हित में ही नहीं बल्कि कुल मिला कर उपभोक्ताओं के व्यापक हित में भी, लागतों में उत्तरोत्तर किफायत करने के सम्बन्ध में आत्म-अनुशासन रखना पड़ेगा जिससे अंततोगत्वा कीमतों में कमी आ जाये ।

5. जहां तक सिफारिश (1) तथा (2) का सम्बन्ध है, आयोग का अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त होने तक के लिए, सरकार ने आयोग की सिफारिशों को इस हद तक स्वीकार करने का विनिश्चय किया है कि 31 दिसम्बर, 1972 तक संरक्षण शुल्क की विद्यमान दरों पर 53 मध्यवर्ती पदार्थों को संरक्षण मिलता रहे । इसी प्रकार, सिफारिश (2) में आने वाले 18 मध्यवर्ती पदार्थों को उपलब्ध शुल्क रिआयत 31 दिसम्बर, 1972 तक मिलती रहेगी ।

संसद् में यथा समय आवश्यक विधान रखा जायेगा जिससे, सिफारिश (1) में आने वाले 53 रंजक मध्यवर्ती पदार्थों को 31 दिसम्बर, 1972 तक एक वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण जारी रहे । वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग), सिफारिश (2) में आने वाले 18 मध्यवर्ती पदार्थों को 31 दिसम्बर, 1972 तक एक वर्ष की अवधि के लिए शुल्क रिआयत जारी रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

6. रंजक मध्यवर्ती पदार्थों के उद्योग का ध्यान, लागतों को कम करने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए सिफारिश (3) की ओर दिलाया जाता है ।

7. आयोग से यह अपेक्षित होगा कि वह सरकार को अपना अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दे ताकि रंजक-मध्यवर्ती पदार्थों को दिये जाने वाला संरक्षण।शुल्क रियायत आगे जारी रखने अथवा समाप्त करने के प्रश्न पर 1972 में आवश्यक विधान पुरः स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा समय पर विचार किया जा सके ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जाये और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एस० वैंकटशन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972